FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत...बायतु... मुकाम...

...खेमाराम वगैरह... बनाम ...पिराजाराम वगैरह...

किस्म मुकदमा...राजस्व आवेदन... नं. ...128... सन्...2019...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.4.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...कुम्भसिंह चौधरी... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128 RLR... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...13/5/2019... को पेश हो।	
13/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।	
11/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/07/19 को पेश हो।	
23/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

16/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढ़ा मेढ़ विप्रार्थीगणों के खेत आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के सेढ़ो पर जो पुरानी मेढ़ व डोला थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिसके कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के सेढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा सेढ़ो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची पक्की मेढ़ या चिन्ह आदि नहीं होने से विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेढ़ा तोड़ देते है एवम बरसात होने पर काश्त: कर लेते है जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश फैसला लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली बमले शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
16.10.2019

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
(कोर्ट पेशकार)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 712 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
खेमाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट वगैरा 2 निवासी हेमजी का पाना, अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर		विशनाराम पुत्र रामूराम जाति जाट वगैरा 27 निवासी हेमजी का पाना, अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /128/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हेमजी का पाना व हुड़ों की ढाणी पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 402/245, 403/245, 403/245, 406/254, 409/310 रकबा कमश 02–00, 15–00, 02–11, 43–05 बीघा कुल रकबा 62–16 बीघा मौजा हेमजी का पाना व खेत खसरा संख्या 181 रकबा 20–00 बीघा मौजा हुड़ों की ढाणी की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/ नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111 , 128 भू0, रा0, अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 713-17 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र पदमाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण विशनाराम पुत्र रामूराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.30 15:22:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: